उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 4 | 16-29 फरवरी 2024 | ₹ 20/-

दारुल उलूम के गजवा-ए-हिंद से संबंधित फतवे पर मचा बवाल

Darul Ifta
Darul Uloom Deoband
List of titles About us Ask questions Contact
Beliefs and Faith >> Hadith and Sunnah
Question No: 9604
Title: My question is, does the hadith mention the invasion of India (Ghazwa-e-Hind), which will take place in the subcontinent? And whoever will be martyred in it is a great martyr. And the one who will be Ghazi (warrior) will go to the heaven (will be Jananti)? Please reply.
Question: My question is, does the hadith mention the invasion of India (Ghazwa-e-Hind), which will take place in the subcontinent? And whoever will be martyred in it is a great martyr. And the one who will be Ghazi (warrior) will go to the heaven (will be Jananti)? Please reply.
Answer No: 9604
In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.
Fatwa: 65=62/b
In the famous book Sunan al-Nasa'i of Sahaah Sita, Imam al-Nasa'i has made a permanent chapter: Ghazwa al-Hind, under which he has narrated a hadith from Hazrat Abu Hurairah (RA): The Messenger of Allah peace be upon him promised that we would invade India. If I live to see that I will sacrifice myself and my wealth. If I am killed, I will be one of the best of the martyrs, and if I come back, I will be Abu Hurayrah al-Muharrar (the one freed from the fire) (Vol: 2, p: 63), published by Mukhtar and Company, Deoband. This same invasion of India was prophesied by the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him).
And Allah knows best
Dar al-Ifta,
Darul Uloom Deoband

- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का आदेश
- अफगानिस्तान में हत्यारों को सार्वजनिक तौर पर मौत की सजा
- संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो
- तुर्किये ने रद्द की मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता की नागरिकता

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

दारुल उलूम के गजवा-ए-हिंद से संबंधित फतवे पर मचा बवाल 04
मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का आदेश 07
दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम के उत्तराधिकारी की घोषणा 10
हल्द्वानी दंगों का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार 12
ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका 13

विश्व

अफगानिस्तान में हत्यारों को सार्वजनिक तौर पर मौत की सजा 16
190 मिलियन पाउंड भ्रष्टाचार केस में इमरान खान और उनकी पत्नी दोषी करार 18
मुस्लिम परिवार की हत्या के दोषी कनाडाई युवक को उम्रकैद 19
चेचन्या में कुरान जलाने पर साढ़े तीन साल कैद की सजा 21
मरियम नवाज पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री निर्वाचित 21

पश्चिम एशिया

संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो 23
तुर्किये ने रद्द की मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता की नागरिकता 25
बुर्किना फासो में इस्लामी आतंकियों के हमले में 30 लोगों की मौत 27
फिलिस्तीन में प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 27
सऊदी अरब में आतंकवाद के आरोप में सात लोगों को मौत की सजा 29

सारांश

इन दिनों विश्वविख्यात इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद अपने एक फतवे 'गजवा-ए-हिंद' के कारण विवादों में है। इस फतवे में यह दावा किया गया है कि गजवा-ए-हिंद के युद्ध में मरने वाले जिहादी महान शहीदों में गिने जाएंगे और वे दोजख (नर्क) के बजाय जन्नत (स्वर्ग) में जाएंगे। गजवा-ए-हिंद का शाब्दिक अर्थ है, 'हिंद का धर्मयुद्ध'। इस्लाम में विश्व को दो भागों 'दारुल इस्लाम' और 'दारुल हर्ब' में बांटा गया है। ऐसा क्षेत्र जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं और सत्ता उनके हाथों में है उसे दारुल इस्लाम कहा जाता है। वहीं, ऐसा क्षेत्र जहां पर मुसलमानों का शासन नहीं है और वहां की अधिकांश आबादी गैर-मुस्लिम है उसे दारुल हर्ब कहा जाता है। शरिया में मुसलमानों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे काफिरों के खिलाफ लगातार युद्ध जारी रखें ताकि उनके क्षेत्रों को दारुल इस्लाम में बदला जा सके। इस्लाम के रसूल हजरत मोहम्मद ने हदीस में हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में बदलने के लिए धर्मयुद्ध (जिहाद) की भविष्यवाणी की है। इसी हदीस की आड़ लेकर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान आम मुसलमानों को यह कहकर गुमराह करते रहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने हिंदुस्तान को 'काफिरिस्तान' से दारुल इस्लाम में बदलने के लिए जिहाद करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे सैयद शाबान बुखारी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि शाबान बुखारी का निकाह एक हिंदू लड़की से हुआ है। इस अवसर पर अहमद बुखारी ने कहा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बुखारा के उनके एक पूर्वज सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को दिल्ली में नवनिर्मित जामा मस्जिद के पहले इमाम की जिम्मेवारी सौंपी थी। अब तक इस वंश के 14 शाही इमाम हो चुके हैं। मुस्लिम शरिया के अनुसार मस्जिद के इमाम का पद वंशानुगत नहीं होता है। यही नहीं दिल्ली की जामा मस्जिद के अतिरिक्त इस्लामी जगत की किसी भी मस्जिद के इमाम को शाही इमाम नहीं कहा जाता है। यहां तक कि इस्लामी जगत के तीन पवित्र स्थानों मक्का की मस्जिद अल-हरम, मदीना की मस्जिद-ए-नबवी और यरुशलम की मस्जिद अल-अक्सा के इमाम को भी शाही इमाम का दर्जा प्राप्त नहीं है।

पाकिस्तान में चुनाव परिणाम घोषित हुए लगभग एक महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर सरकार का गठन नहीं हो पाया है। पाकिस्तानी सेना यह सहन करने के लिए तैयार नहीं है कि देश की सत्ता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथों में जाए, क्योंकि इमरान खान सरकार का तख्ता पलटने में सेना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी सेना के प्रयासों से ही चुनाव से पूर्व अदालतों ने इमरान खान को विभिन्न आरोपों में 34 साल कैद की सजा सुनाई थी। यहां तक कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सेना का यह प्रयास था कि सत्ता की बागडोर मियां नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो के हाथ में रहे, मगर पाकिस्तानी जनता ने सेना के मंसूबों को धूल में मिला दिया है। पाकिस्तानी जनता ने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले इमरान समर्थकों को बड़ी संख्या में सफल बनाया है। इसके बाद पाकिस्तान नेशनल असेंबली में त्रिशंकु जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री बनी हैं। जबकि सिंध की सत्ता पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हाथ लगी है। अन्य प्रदेशों में अभी तक सरकारों का गठन नहीं हो पाया है।

पिछले कुछ सालों से मिस्र और तुर्की के संबंधों में जो कटुता थी वह तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के मिस्र दौरे के बाद दूर हो गई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के इशारे पर एर्दोगान ने तुर्किये में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे इस्लामी अतिवादी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन के बड़े नेता महमूद हुसैन की तुर्किये की नागरिकता रद्द कर दी गई है और उनके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उनके अन्य सहयोगियों को भी तुर्किये से बोरिया-बिस्तर बांधने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

दारुल उलूम के गजवा–ए–हिंद से संबंधित फतवे पर मचा बवाल

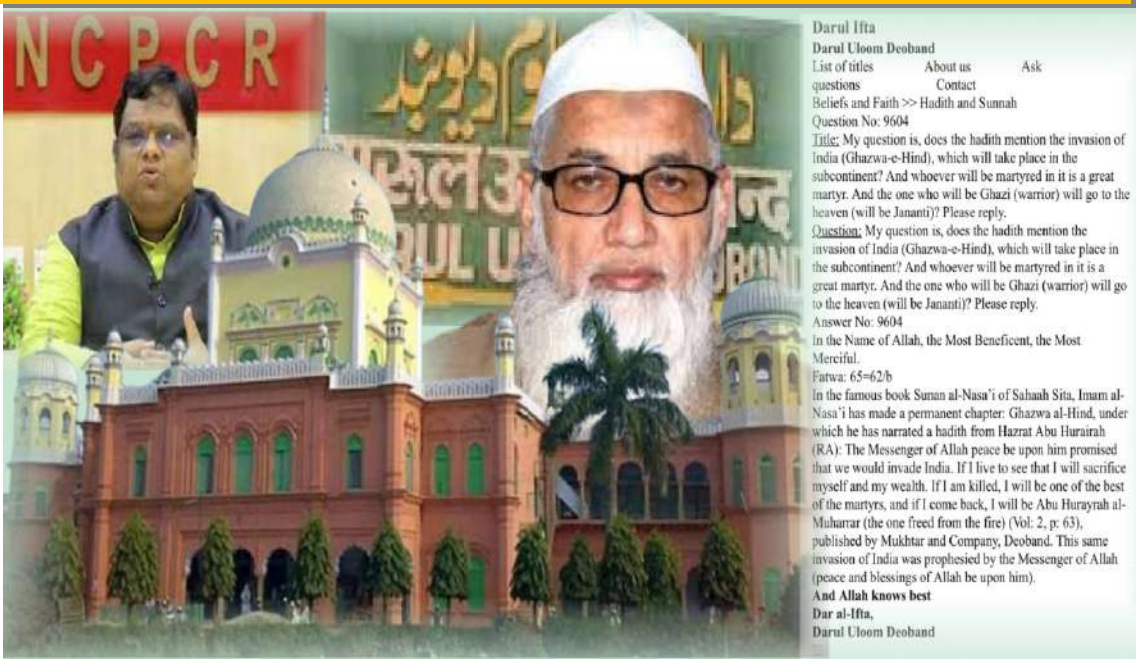

सियासत (23 फरवरी) के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे में गजवा-ए-हिंद का उल्लेख है और यह एक आपत्तिजनक फतवा है। उन्होंने कहा कि फतवे में गजवा-ए-हिंद को जायज ठहराते हुए यह दावा किया गया है कि हिंदुस्तान पर हमले के दौरान मरने वाले जिहादी महान शहीदों में गिने जाएंगे। कानूनगो ने इस संबंध में सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानूनगो ने यह भी आरोप लगाया है कि दारुल उलूम देवबंद ने बाल न्याय कानून, 2015 की धारा 25 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि देवबंद के इस फतवे से बच्चों के दिमाग में अपने ही देश के खिलाफ नफरत की भावना पैदा होगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 मार्च) के अनुसार दारुल उलूम देवबंद की कार्यसमिति ने अपने तीन दिवसीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया है। दारुल उलूम देवबंद के प्रबंधक की ओर से जिला प्रशासन को भेजे गए जवाब पर इस प्रस्ताव में संतोष प्रकट किया गया है। कार्यसमिति की बैठक में कहा गया है कि अगर सरकार दारुल उलूम के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। कार्यसमिति ने जिला प्रशासन के इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया है कि दारुल उलूम देवबंद ऑनलाइन फतवे जारी करना फौरन बंद करे। कार्यसमिति ने दारुल उलूम देवबंद को यह निर्देश दिया है कि वह ऑनलाइन फतवा देने की परंपरा को जारी रखे।

अखबार-ए-मशरिक (23 फरवरी) के अनुसार विश्वविख्यात इस्लामी शिक्षण संस्थान

दारुल उलूम देवबंद एक फतवे के कारण चर्चा का केंद्र बन गया है। समाचारपत्र के अनुसार दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गजवा-ए-हिंद से संबंधित एक फतवा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गजवा-ए-हिंद के संघर्ष में मरने वाले जिहादी महान शहीद होंगे। इस संदर्भ में दारुल उलूम देवबंद ने कुतुब अल-सित्ता (प्रमाणिक हदीस के छह प्रमुख संग्रह) में से एक 'सुनन अन-नसाई' का हवाला दिया है, जिसमें गजवा-ए-हिंद से संबंधित एक अध्याय है। इसमें हजरत अबू हुरैरा की हदीस का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह के संदेशवाहक ने भारत पर हमले का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं अपना जान व माल कुर्बान कर दूंगा। इस फतवे में यह भी बताया गया है कि देवबंद की मुख्तार एंड कंपनी ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि दारुल उलूम मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा दी जा रही है। इससे इस्लामी कट्टरपंथ को प्रोत्साहन मिलता है। इसके परिणामस्वरुप देश के खिलाफ नफरत फैल सकती है। आयोग ने कहा है कि इस फतवे के जरिए देश की जनता को गुमराह किया गया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच करने के बाद उसे ब्लॉक किया जाए। आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन उसके निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह इसके लिए दोषी होगा। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने कहा है कि देवबंद के सीईओ और एसडीएम को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि दारुल उलूम अपने विवादित फतवों के कारण कई बार चर्चा में रहा है, मगर इस बार उसने अपने फतवे में गजवा-ए-हिंद को मान्यता दी है। दारुल उलूम मदरसे ने अपने फतवे में कहा है कि अगर इस्लाम का लश्कर हिंदुस्तान पर हमला करता है तो इस हमले में मरने वाले लश्कर शहीद कहलाएंगे और वे सीधा स्वर्ग में जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि दारुल उलूम सिर्फ एक मदरसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लाखों मदरसों का पाठ्यक्रम तैयार करती है और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर करोड़ों बच्चे इस्लाम की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि यह फतवा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर उर्दू में मौजूद है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद वहाबी संप्रदाय से संबंधित है। इस संप्रदाय के एक नेता शाह वलीउल्लाह ने अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमले का आमंत्रण दिया था। शाह वलीउल्लाह ने अब्दाली से आग्रह किया था कि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत का खात्मा करने और इस्लामी हुकूमत को स्थापित करने के लिए उसका भारत आना जरूरी है।

दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट के अनुसार किसी व्यक्ति ने दारुल उलूम देवबंद से एक प्रश्न पूछा था कि क्या हदीस में हिंदुस्तान पर इस्लाम के जिहादी हमले, जिसे गजवा-ए-हिंद कहते हैं का उल्लेख है? क्या इसमें भाग लेने वाला शहीद कहलाएगा और क्या वह मरने के बाद जन्नत में जाएगा? इस प्रश्न के जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने लिखा है कि जहां तक गजवा-ए-हिंद का संबंध है उसका उल्लेख हजरत अबू हुरैरा से संबंधित एक हदीस में है, जिसमें हजरत मोहम्मद ने वायदा किया था कि हम हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। अगर मैं उसको देखने के लिए जिंदा रहूंगा तो मैं अपने प्राण और अपनी संपत्ति को कुर्बान करूंगा। अगर मैं मारा गया तो मैं महान शहीदों में गिना जाऊंगा और अगर मैं जीत कर वापस आया तो मैं गाजी कहलाऊंगा और अबू हुरैरा दोजख की आग में जलने से मुक्ति पा जाएगा।

रोजनामा सहारा (26 फरवरी) के अनुसार गजवा-ए-हिंद पर छिड़ी चर्चा का उल्लेख करते हुए मुस्लिम नेता सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि गजवा-ए-हिंद के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण है। कुछ लोग कहते हैं कि गजवा-ए-हिंद हो चुका है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जब हजरत ईसा फिर से प्रकट होंगे तो गजवा-ए-हिंद होगा। वहीं, कुछ लोगों का मत है कि जब मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था तो वह गजवा-ए-हिंद ही था। हालांकि, हदीस से ऐसा प्रतीत होता है कि जब हजरत ईसा पुनः प्रकट होंगे तो उस समय उनके साथ युद्ध में जो भागीदार होगा वह मरने के बाद जहन्नुम में नहीं जाएगा। यह हदीस वर्तमान समय के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस समय के लिए है जब हजरत इमाम महदी प्रकट होंगे। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि गजवा-ए-हिंद वर्तमान समय के लिए है। मौलाना ने कहा है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है। किस मुल्क में यह हिम्मत है कि वह हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। खासकर के अरब के देश जो फिलिस्तीन में अरबों की हत्या पर चुप हैं, क्या वे हिंदुस्तान के साथ युद्ध के बारे में सोच भी सकते हैं?

रोजनामा सहारा (23 फरवरी) के अनुसार दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल ने गजवा-ए-हिंद के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसमें समय का कोई उल्लेख नहीं था। हमारी नजर में गजवा-ए-हिंद पहले ही हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत आए और 713 तक वे सिंध में युद्ध में लगे रहे, जो गजवा-ए-हिंद का ही हिस्सा था। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आने वाले समय में गजवा-ए-हिंद होने की बात करते हैं वे बदनीयती से ऐसा कह रहे हैं और यह गलत है।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि हदीस की किताबों में गजवा-ए-हिंद का उल्लेख है, जिसका लाभ उठाकर कुछ शरारती तत्व इसे गलत ढंग से पेश करते हैं और इसकी आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गजवा-ए-हिंद का महिमामंडन नहीं किया गया है और ना ही उस पर कोई फतवा ही डाला गया है। नोमानी ने कहा कि 2009 में एक प्रश्नकर्ता के सवाल पर हदीस के मूल प्रारूप को दारुल उलूम की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है। इससे छात्रों के मन-मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ जो कदम उठाया गया है वह निंदनीय और अफसोसनाक है। नोमानी ने कहा कि फतवे जारी करना हमारी शरीयत और मजहब का एक अंग है और इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फतवे खुद जारी नहीं किए जाते। यदि कोई व्यक्ति शरिया की रोशनी में इस्लामी विद्वान की राय जानना चाहता है तो उसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। दारुल उलूम देवबंद को फतवे जारी करने का संवैधानिक अधिकार है।

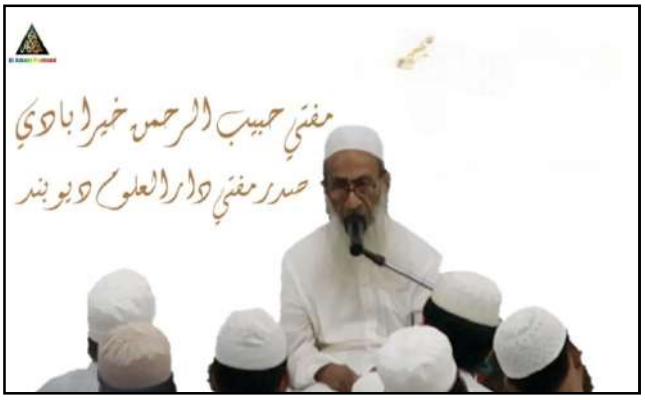

गौरतलब है कि जनवरी 2009 में हाफिज फैजान अब्बासी ने गजवा-ए-हिंद से संबंधित एक प्रश्न दारुल उलूम देवबंद को भेजा था। इस प्रश्न के जवाब में दारुल इफ्ता के प्रमुख मुफ्ती हबीबुर रहमान खैराबादी ने गजवा-ए-हिंद से जुड़े एक हदीस को नकल कर दिया था। अब 15 साल के बाद इसे आधार बनाकर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ अभियान छेड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा है कि यह दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की एक साजिश है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने के अभियान में शामिल हो गया है और यह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह काम नहीं है कि वह हराम और हलाल की जांच करे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (1 मार्च) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने स्पष्ट किया है कि गजवा-ए-हिंद का संबंध मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर हमले से है और यह बहुत पहले हो चुका है। जो लोग एक हदीस का सहारा लेकर यह दावा कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान पर हमला करने वाले हैं उनका लक्ष्य मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना और भारतीय समाज को खंडित करना है।

रोजनामा सहारा (26 फरवरी) के अनुसार देश में लोकसभा चुनाव की धमक शुरू हो चुकी है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा करें, मगर वे अंदर से बेहद घबराए हुए हैं। उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर वे जनता से वोट मांग सकें, इसलिए अब संघ परिवार के थिंक टैंकों ने एक और चाल चली है। उन्होंने अपनी तोपों का मुंह विश्वविख्यात इस्लामी संस्थान दारुल उलूम देवबंद की ओर मोड़ दिया है। सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसका इस विवाद से कोई सरोकार नहीं है उसने किसके इशारे पर 15 साल पुराने एक फतवे की आड़ लेकर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इससे पहले मौलाना अशरफ अली थानवी की एक पुस्तक 'बहिश्ती जेवर' को लेकर दारुल उलूम को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इस पुस्तक का दारुल उलूम के पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। ■

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का आदेश

हमारा समाज (28 फरवरी) के अनुसार केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों व शिक्षा के प्रसार से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अवर सचिव धीरज कुमार ने सात फरवरी को इस फाउंडेशन को बंद करने का सरकारी निर्देश जारी किया था। बताया जाता है कि इस फाउंडेशन को बंद करने की सिफारिश केंद्रीय वक्फ परिषद ने

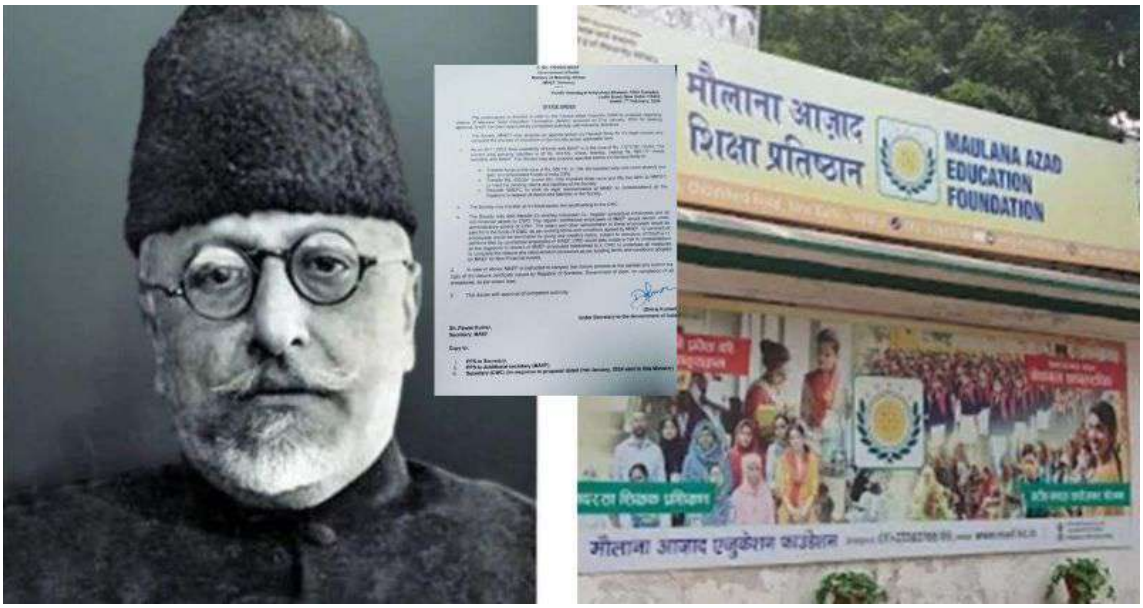

की थी, जो अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित योजनाओं को तैयार करती है। इसके साथ ही इस फाउंडेशन में काम करने वाले 43 कर्मचारियों को भी बर्खास्त करने का फैसला किया गया है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि 30 नवंबर 2023 तक फाउंडेशन के पास 1073.26 करोड़ रुपये की धनराशि थी, जिसमें 403.55 करोड़ रुपये की लंबित देनदारी भी शामिल है। जबकि फाउंडेशन के पास 669.71 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध है। इस धनराशि को भारत सरकार की संचित निधि (सीएफआई) में जमा करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि फाउंडेशन की अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी हैं। इस फाउंडेशन का पंजीकरण 6 जुलाई 1989 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत किया गया था। इस फाउंडेशन के द्वारा अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रसार से संबंधित विभिन्न योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा था। इनमें बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण योजना आदि शामिल हैं। फाउंडेशन की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के साधनों को विकसित करने के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त इस फाउंडेशन के जरिए विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अल्पसंख्यक छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी जाती थी।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के पूर्व सदस्य प्रो. अख्तरुल वासे ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार का यह फैसला बेहद निंदनीय है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मोदी सरकार के अल्पसंख्यकों के बारे में क्या विचार हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकारी फैसला उचित नहीं है और यह मुसलमानों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं तो फिर देश की एक बड़ी आबादी को शिक्षा की सुविधा से वंचित करने के फैसले को कैसे उचित ठहराया जा सकता है?

उन्होंने कहा कि अब 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे का क्या होगा?

हमारा समाज (28 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगले कुछ महीने तक पूरे देश में चुनाव का माहौल रहेगा और भोली-भाली जनता को खूब सब्जबाग दिखाए जाएंगे। एक ओर तो सबका साथ, सबका विकास के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए गठित किए गए मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का फैसला किया है। इससे साफ है कि सरकार की मंशा यह है कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में विकास न करें और वे पिछड़े रह जाएं। जहां तक मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का संबंध है, इसके लिए फंड अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। इस फाउंडेशन के बंद किए जाने से वे सभी योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं, जिनके तहत मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती थीं और अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों को अनुदान दिया जाता था। इससे साफ है कि सरकार का यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ है। इसके बावजूद सरकार और उसके दलाल यह कहते हुए नहीं शरमाते हैं कि मोदी सरकार में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जबकि हकीकत सबके सामने है।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद से केंद्र सरकार को इतनी एलर्जी है कि उनके नाम से शुरू की गई सरकारी संस्था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद कर दिया गया है। इससे पहले 2022 में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया गया था। इस फैसले को उचित ठहराते हुए अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं, इसलिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी बंद कर दिया गया था। निश्चित रूप से इससे मुस्लिम बच्चों को भारी धक्का लगा है।

हालांकि, सरकार ने यह दावा किया था कि इस योजना के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है उसे पूरी तरह से खर्च नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार का यह दावा सही है तो इसका अर्थ यह है कि मुसलमानों को छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है या फिर उन्हें जानबूझकर इस योजना से दूर रखा गया है। अगर मुसलमानों को इसमें दिलचस्पी नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि इसके लिए मुसलमान स्वयं दोषी हैं और अगर ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंचीं तो इसके लिए सरकारी अधिकारी दोषी हैं। हकीकत तो यह है कि इस सरकार की नीतियां ही मुस्लिम विरोधी हैं।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि शिक्षा किसी भी कौम के विकास का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम होता है। शिक्षा प्राप्त करके ही मुसलमान अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपना कोई कारोबार भी चला सकते हैं। सरकार की नीतियों के कारण मुसलमान पहले ही कारोबार के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हुए हैं। शिक्षा से वंचित किए जाने के कारण न सिर्फ गरीबी बढ़ती है, बल्कि हताश युवा वर्ग नशे के साथ-साथ जुआ और चोरी की चपेट में आ जाता है, जिससे एक पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती है। यहां तक कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के विश्वविद्यालयों को भी नहीं बख्शा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया को मिलने वाले अनुदान में मोदी सरकार ने भारी कटौती की है। अब सरकार का यह प्रयास है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक स्वरूप को समाप्त कर दिया जाए।

ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि मुस्लिम नेतृत्व जागे और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी कौम के विकास के लिए कोई ठोस प्रयास शुरू करे।

इंकलाब (29 फरवरी) ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि केंद्र सरकार ने सात फरवरी को ही मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मीडिया ने 20 दिनों तक इस खबर को दबाए रखा। यह अहसास बहुत दिनों से हो रहा था कि यूपीए सरकार ने मुसलमानों के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए जो संस्थाएं स्थापित की हैं, उन्हें मोदी सरकार अपनी मुस्लिम विरोधी नीति के कारण बंद कर देगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय और उससे संबंधित अनेक संस्थानों का गठन किया था। मनमोहन सिंह की सरकार यह चाहती थी कि मुसलमानों को पिछड़ेपन के दलदल से बाहर निकाला जाए, लेकिन वर्तमान सरकार का एजेंडा इसके बिल्कुल विपरीत है। उन सभी संस्थानों को धीरे-धीरे बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान से संबंधित हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का फैसला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यह फैसला उस सरकार ने किया है जो 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देकर जनता से वाहवाही लूटने की कोशिश करती रही है। गौरतलब है कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना 1988 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म-शताब्दी समारोह के मौके पर की गई थी। जब अल्पसंख्यक मंत्रालय बना तो इस संस्थान को उसके हवाले कर दिया गया। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस फाउंडेशन को बंद करने से हजारों मुस्लिम छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम के उत्तराधिकारी की घोषणा

इंकलाब (26 फरवरी) के अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने एक समारोह में अपने पुत्र और वर्तमान नायब शाही इमाम मौलाना सैयद उसामा शाबान बुखारी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। इस अवसर पर शाबान बुखारी के सिर पर दस्तार-ए-इमामत (इमाम की पगड़ी) बांधी गई। अहमद बुखारी ने कहा कि यह परंपरा 400 से अधिक सालों से चली आ रही है। हर इमाम अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और मैं इसी वंश परंपरा का पालन कर रहा हूं। दस्तारबंदी का यह समारोह दारुल उलूम देवबंद (वक्फ) के प्रबंधक मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी,

जमीयत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलाफी, दारुल उलूम नदवा के उप प्रबंधक मौलाना सैयद जाफर मसूद हसनी नदवी, तब्लीगी जमात के मौलाना रियाज अहमद, इस्लामी विद्वान डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना फजलुर रहमान कासमी, जामिया अशरफिया के मुफ्ती मन्नान रजा और भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली आदि मौजूद थे। सैयद अहमद बुखारी के भाई सैयद याह्या बुखारी एवं सैयद तारिक बुखारी की ओर से भी शाबान बुखारी की दस्तारबंदी की गई। इस अवसर पर यह भी घोषणा की गई कि सैयद शाबान बुखारी के बेटे सैयद अरीब बुखारी नायब शाही इमाम होंगे।

शाबान बुखारी ने कहा कि वे जामा मस्जिद के गौरव और पवित्रता की हर कीमत पर रक्षा करेंगे और वंश परंपरा को बरकरार रखेंगे। गौरतलब है कि अगर भविष्य में किसी कारण से वर्तमान शाही इमाम अहमद बुखारी को अपने कर्तव्यों को निभाने में परेशानी होगी तो शाबान बुखारी जामा मस्जिद के चौदहवें शाही इमाम के रूप में काम करेंगे। इस अवसर पर शाही इमाम अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद के शाही इमामों की वंश परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था तो उन्होंने बुखारा (उज्बेकिस्तान) के शासक को संदेश भेजा था कि वे किसी इस्लामी विद्वान को भारत भेजें, जो नवनिर्मित जामा मस्जिद के शाही इमाम के कार्यभार को संभाल सकें। बुखारा के शासक ने अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम के रूप में कार्य करने के लिए भारत भेजा था। उस समय उनकी उम्र 63 वर्ष की थी। मुगल बादशाह की इच्छा के अनुरूप तब से लेकर आज तक जामा मस्जिद की इमामत उनके वंश में ही चली आ रही है।

टिप्पणी: दिल्ली की जामा मस्जिद की इमामत के उत्तराधिकारी 29 वर्षीय उसामा शाबान बुखारी का जन्म 11 मार्च 1995 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस्लामी धर्मशास्त्र में आलमियत और फजीलत की भी डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इस्लाम की बुनियादी शिक्षा दिल्ली के मदरसा जामिया अरबिया शम्सुल उलूम से ली है। 2014 में शाबान को जामा मस्जिद का नायब इमाम घोषित किया गया था। 13 नवंबर 2015 को शाबान बुखारी ने गाजियाबाद

की एक हिंदू लड़की से निकाह किया था। शाही इमाम के परिवार के दबाव पर इस हिंदू लड़की ने निकाह से पूर्व इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद शाबान की पत्नी का नाम शाजिया रखा गया। उनके दो बच्चे हैं। शाबान के दादा सैयद अब्दुल्ला बुखारी का विवादों से पुराना नाता रहा है। आपातकाल के दौरान उन्होंने जबरन नसबंदी का विरोध किया था और उसे शरिया और इस्लाम के खिलाफ बताया था। जब इंदिरा गांधी ने देश में चुनाव कराने की घोषणा की तो अब्दुल्ला बुखारी ने एक फतवा जारी करके मुसलमानों से अपील की कि वे जनता पार्टी का समर्थन करें। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ उनकी हमेशा ठनी रही। इसके बाद शाही इमाम समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के पक्ष में फतवे जारी करते रहे। इस्लामी जगत में शायद दिल्ली की जामा मस्जिद ही एकमात्र ऐसी मस्जिद है, जहां की इमामत पिछले 500 सालों से एक ही वंश के पास चली आ रही

है। इस्लाम के नियमों के अनुसार इमाम का पद किसी वंश तक सीमित रखना इस्लाम और शरिया के खिलाफ है। शरिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति नमाज के दौरान इमाम की जिम्मेवारी निभा सकता है और कोई भी व्यक्ति स्थाई तौर पर इमाम के पद पर बरकरार नहीं रह सकता। यही नहीं दुनियाभर में दिल्ली की जामा मस्जिद ही एकमात्र ऐसी मस्जिद है, जिसके इमाम खुद को शाही इमाम कहते हैं।

हल्द्वानी दंगों का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार

इंकलाब (25 फरवरी) के अनुसार पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगों के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि हल्द्वानी में एक मस्जिद और मदरसे के ध्वस्त किए जाने के बाद दंगे भड़क उठे थे। उग्र मुस्लिम भीड़ ने पुलिस और मस्जिद को गिराने के लिए गए कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से कम-से-कम छह लोग मारे गए। इस घटना के बाद अब्दुल मलिक वहां से फरार हो गया। अब्दुल मलिक के वकीलों ने हल्द्वानी के सत्र न्यायालय में उसकी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि घटना के दिन अब्दुल मलिक हल्द्वानी में मौजूद नहीं था। अब्दुल मलिक के वकीलों ने इस याचिका में उसके दिल्ली स्थित आवास का पता भी दे दिया था। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। अब्दुल मलिक के अतिरिक्त उसकी पत्नी साफिया मलिक को भी जाली दस्तावेज बनाने और उसे अदालत में पेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी पुलिस अब तक इस दंगे के सिलसिले में 90 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

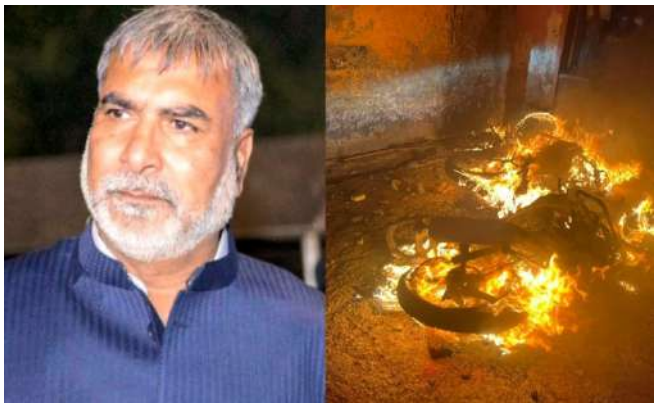

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (22 फरवरी) के अनुसार इन दंगों के सिलसिले में हल्द्वानी पुलिस ने छह अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी के एसएसपी पीएल मीणा ने संवाददाताओं को बताया कि दंगाईयों का पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें निरंतर काम कर रही हैं और इस सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज की सहायता भी ली जा रही है। गिरफ्तार किए गए दंगाईयों के कब्जे से अवैध हथियार, पेट्रोल बम और पीएसी के जवानों से लूटे गए कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

इंकलाब (19 फरवरी) के अनुसार भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके 43 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक पत्र लिखकर हल्द्वानी की घटना पर सख्त रोष प्रकट किया है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है और मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है और आरोपियों की तलाशी की आड़ में महिलाओं और बच्चों को बदले की भावना से उत्पीड़न का शिकार बना रही है। उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर सरकार के इशारे पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें मांग की जा रही है कि जो मुसलमान देश के अन्य भागों से उत्तराखंड में आकर बसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जाए और रोहिंग्या घुसपैठियों को भी राज्य से निष्कासित किया जाए। इन प्रदर्शनों के कारण समाज में तनाव पैदा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर मुसलमान राज्य के अनेक भागों से बोरिया-बिस्तर बांधकर देश के अन्य क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं। इस पत्र में यह भी मांग की गई है कि इन दंगों की न्यायिक जांच करवाई जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का जो फैसला किया गया है उसमें न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

हमारा समाज (1 मार्च) के अनुसार पुलिस ने हल्द्वानी दंगों के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे और बनभूलपुरा दंगों के आरोपी अब्दुल मोईद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। यह व्यक्ति 8 फरवरी से फरार था और इसे पुलिस की टीमें देश के विभिन्न हिस्सों में तलाश कर रही थीं।

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका

उर्दू टाइम्स (27 फरवरी) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी केस में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायायल में अपील की थी। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका में ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वाराणसी की

अदालत ने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है और वे पहले से ही काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था कि दस्तावेजों में किसी तहखाने का उल्लेख नहीं है। यह तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद खोला गया था। शैलेन्द्र कुमार पाठक ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। 31 जनवरी को जिला न्यायाधीश ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया था। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने इस तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू कर दी थी। इससे पहले हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले इस तहखाने में पूजा होती थी। बाद में प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी, इसलिए पूजा को जारी रखने की अनुमति दी जाए।

अवधनामा (28 फरवरी) के अनुसार ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी पर कब्जे की याचिका के पक्ष में फैसला देते हुए मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायायल में दायर याचिका के अनुसार उच्च न्यायालय का यह फैसला पूजा स्थल अधिनियम, 1991 में हस्तक्षेप है। इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि इस कानून में धार्मिक भूमिका को स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए अदालत अपने विवेक पर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि इस तरह के सवालों को मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता और इसका निर्णय प्रमाणों के आधार पर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना कि 1991 का कानून धार्मिक स्थिति को तय करने से नहीं रोकता यह पूरी तरह से गलत है। मस्जिद कमेटी का यह तर्क था कि क्योंकि तहखाना मस्जिद परिसर का एक भाग है, इसलिए इस पर मुसलमानों का अधिकार होना

चाहिए। व्यास परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को तहखाने में पूजा-अर्चना करने का कोई अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी और इसे रोकने का कोई आधार नहीं है।

रोजनामा सहारा (29 फरवरी) के अनुसार हिंदू पक्ष ने जिला न्यायाधीश की अदालत में एक याचिका दायर करके यह अनुरोध किया है कि मस्जिद के दक्षिणी तहखाने (व्यासजी तखहाने) की छत वाले हिस्से पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई जाए और इस पर नमाज अदा करने की अनुमति न दी जाए। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि 500 साल पुरानी यह छत काफी कमजोर है। यदि वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई तो यह छत गिर सकती है। यह याचिका हिंदू पक्ष की ओर से डॉ. राम प्रसाद सिंह ने दायर की है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में भी एक कैविएट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है तो उसे हिंदू पक्ष को भी सुनना चाहिए।

रोजनामा सहारा (1 मार्च) ने कहा है कि अपनी सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन ज्ञानवापी के तहखाने को हिंदुओं को सौंपने वाले न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया है। यह एक सरकारी विश्वविद्यालय है और इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। डॉ. विश्वेश को लोकपाल नियुक्त करने का आदेश 28 फरवरी को जारी किया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। इसी तरह से बाबरी ढांचा विध्वंस केस के सभी आरोपियों को अप्रैल 2021 में बरी करने वाले सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव को इसी योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त किया था।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित लक्ष्मण टीला विवाद पर सिविल अदालत ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए जबर्दस्त धक्का माना जा रहा है। टीले वाली मस्जिद के विवाद से संबंधित मुस्लिम पक्ष ने अदालत में जो पुनरीक्षण याचिका दायर की थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई करने योग्य है। इस याचिका में यह दावा किया गया है कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इस मंदिर को औरंगेजब के निर्देश पर ध्वस्त किया गया था। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि मस्जिद के अंदर स्थित शेषनाग के मंदिर को मुस्लिम पक्ष ध्वस्त कर रहा है। हिंदू पक्ष ने यह मांग की है कि इस मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश दिया जाए ताकि स्थिति साफ हो सके।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 फरवरी) ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव की धमक शुरू होते ही भाजपा ने धर्म के नाम पर समाज में नफरत का जहर फैलाना शुरू कर दिया है। चुनाव में हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर देश को दंगों की आग में झोंकने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें देश के सच्चे हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब बनारस में ज्ञानवापी विवाद को भी हवा दी जा रही है और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विवाद को पुनर्जीवित करके वहां पर स्थित शाही ईदगाह को हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि, इस देश में संसद द्वारा बनाया गया एक कानून मौजूद है। इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि 1947 तक विभिन्न उपासना स्थलों की जो स्थिति थी उसे यथावत बरकरार रखा जाए।

विश्व

अफगानिस्तान में हत्यारों को सार्वजनिक तौर पर मौत की सजा

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार ने शरिया कानून के अनुसार अपराधियों को सजा देने का सिलसिला तेज कर दिया है। हाल ही में गजनी के एक फुटबॉल स्टेडियम में हजारों दर्शकों के सामने दो हत्यारों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई है। गौरतलब है कि तालिबान के पहले कार्यकाल (1996-2001) में शरिया कानूनों को सख्ती से लागू किया गया था और अपराधियों को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने के साथ-साथ उन्हें कोड़े भी मारे जाते थे।

समाचार के अनुसार हत्या के इन दो आरोपियों को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाई थी, जिसकी पुष्टि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने की। उन्होंने इन दोनों आरोपियों को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के एक उच्चाधिकारी अतीकुल्लाह दरविश ने वहां पर उपस्थित सात हजार लोगों के सामने तालिबान के सर्वोच्च नेता के फरमान को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि इन दोनों आरोपियों को अदालत ने हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। अब मैं इन्हें शरिया के अनुसार सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने की पुष्टि करता हूं। इन दोनों आरोपियों ने जिन लोगों की हत्या की थी उनके परिवार के लोग भी उनकी मौत की सजा को देखने के लिए मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर काजी ने पीड़ितों के परिजनों से पूछा कि क्या आप इन आरोपियों को माफी देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इन आरोपियों को माफी देने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि इस्लामी शरिया के अनुसार पीड़ितों के परिजन खून के बदले में हत्यारों से धनराशि लेकर या वैसे ही उन्हें माफ करने के लिए सक्षम होते हैं। इन दोनों आरोपियों को गोली मारकर मौत की सजा देने से पहले काजी ने मृतकों के परिजनों से पूछा था कि क्या वे इन दोनों आरोपियों को अपने हाथों से मौत की सजा देना चाहते हैं? जब उन्होंने इससे इंकार कर दिया

तो इन्हें एक सैन्य दस्ते के हवाले किया गया। इसके बाद दो सैनिकों ने इन दोनों आरोपियों को गोली मारकर इन्हें मौत की सजा दी। समाचारपत्र के अनुसार जिन आरोपियों को मौत की सजा दी गई है उनकी पहचान सैयद जमाल और गुल खान के रूप में हुई है। इन दोनों आरोपियों ने जनवरी 2022 में दो लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र बार-बार तालिबान से यह अनुरोध करता रहा है कि अफगानिस्तान में शरिया कानून को लागू न किया जाए, क्योंकि यह कानून बर्बर हैं। हालांकि, तालिबान सरकार ने हर बार संयुक्त राष्ट्र के इस निर्देश को ठुकरा दिया। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान सरकार एक कट्टर इस्लामी सरकार है और उसका यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह कुरान व हदीस के अनुसार शरिया कानूनों को लागू करे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सत्ता में आने के बाद 2022 में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान में शरिया कानूनों को लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस्लामी शरिया में आंख के बदले आंख और सिर के बदले सिर की सजा की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून या शरिया विश्वभर के मुसलमानों के लिए जीवन निर्वाह करने की एक बेहतरीन व्यवस्था है। शरिया में कत्ल और बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा की व्यवस्था है। जबकि चोरी, शराब पीने और तस्करी के दोषियों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते रहे हैं। इससे पहले जून 2023 में अफगानिस्तान के प्रांत लगमान में एक मस्जिद के सामने जुमे की नमाज के बाद हत्या के एक आरोपी को मौत की सजा दी गई थी। अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अफगानिस्तान में सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने की निंदा की है और वहां की सरकार से यह मांग की है कि वह इस पर प्रतिबंध लगाए।

अवधनामा (27 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 84 वर्षीय हर्बर्ट फ्रिट्ज को पिछले साल अफगानिस्तान के दौरे के दौरान वहां की तालिबान सरकार ने गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने फ्रिट्ज की रिहाई हेतु कतर के अमीर के प्रयासों की सराहना की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अफगान सरकार ने रिहाई के बाद फ्रिट्ज को कतर की राजधानी दोहा भेज दिया था और अब उन्हें वहां से ऑस्ट्रिया लाया गया है। फ्रिट्ज दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक हैं। उन्हें मई 2023 में अफगानिस्तान दौरे के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कतर के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि कतर के अमीर की अपील पर वहां की सरकार ने इस विदेशी नागरिक को रिहा करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, मगर अभी तक उसे किसी भी विदेशी सरकार ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि, 2019 में कतर ने तालिबान को दोहा में अपना कार्यालय खोलने की

अनुमति दी थी। इसके बाद अमेरिका सहित कई देशों ने कतर सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वह आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के मामले पर विचार करने के लिए कतर में जो सम्मेलन बुलाया था उसमें भाग लेने के लिए तालिबान सरकार ने कुछ शर्तें रखी थीं। इनमें पहली शर्त यह थी कि इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की ओर से किसी अन्य पक्ष को निमंत्रण न दिया जाए और संयुक्त राष्ट्र निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत अफगान प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दे। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान सरकार की इन शर्तों को मानने से इंकार कर दिया था और कहा था कि इन शर्तों को मानने का अर्थ यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता प्रदान कर दी है, जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। कतर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन का तालिबान द्वारा बहिष्कार किए जाने पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान ने इसे तालिबान सरकार की एक राजनयिक गलती बताई थी। गौरतलब है कि दोहा के इस सम्मेलन में

तालिबान सरकार ने भाग नहीं लिया था, मगर उसके विरोधी गुटों के अनेक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे।

उर्दू टाइम्स (24 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने छात्राओं को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने की जो छूट देने की घोषणा की है उसका संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान सरकार ने यह घोषणा की है कि अगले साल से अफगानिस्तान में छात्राएं डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगी।

190 मिलियन पाउंड भ्रष्टाचार केस में इमरान खान और उनकी पत्नी दोषी करार

सियासत (28 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार केस में दोषी करार दिया है। इस्लामाबाद की अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने इस मुकदमे की सुनवाई अदियाला जेल में की। इसी जेल में इमरान और उनकी पत्नी बंद हैं। सरकारी वकील ने अदालत में इमरान खान और उनकी पत्नी को दोषी करार देने की मांग की थी, जिसका इमरान खान के वकीलों ने विरोध किया था। न्यायाधीश ने इमरान खान से पूछा कि आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप बताएं कि आप दोषी हैं या नहीं? इस पर इमरान ने कहा कि मुझे आरोप पत्र पढ़कर क्या करना है? मैं जानता हूं कि उसमें क्या लिखा है और आपको क्या फैसला करना है। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोप पत्र पढ़कर सुनाया। इस पर इमरान खान और उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। इमरान खान के वकीलों ने अदालत से मांग की कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ जो चालान पेश किया है उसकी प्रतिलिपि उन्हें दी जाए। न्यायाधीश ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि पहले ही आपको काफी समय दिया

जा चुका है और अब अधिक समय देना संभव नहीं है। इमरान खान ने कहा कि हम इस मुकदमे में देरी नहीं चाहते। आठ फरवरी से पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस बात की जल्दी थी कि इस मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो और अब चुनाव परिणाम आने के बाद हम भी इस पक्ष में हैं कि इस मुकदमे का फैसला जल्दी किया जाए। इमरान खान के वकील ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इस मुकदमे में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनमें से 50 दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना संभव नहीं है। हम उनकी स्पष्ट कॉपियां चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुकदमे का फैसला जल्दी हो। वकील ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि हमें वे दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं जिनके आधार पर अदालत इमरान खान को दोषी ठहरा रही है।

मुस्लिम परिवार की हत्या के दोषी कनाडाई युवक को उम्रकैद

मुंबई उर्दू न्यूज (23 फरवरी) के अनुसार फ्रांसीसी संवाद समिति एएफपी ने दावा किया है कि कनाडा के इतिहास में पहली बार रंगभेद विरोधी नीति के आधार पर अदालत ने एक मुकदमे का फैसला सुनाया है। अदालत ने एक 22 वर्षीय श्वेत वर्चस्ववादी नथानिएल वेल्टमैन को एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या करने का दोषी ठहराया है। इस हमले में पाकिस्तानी मूल के

46 वर्षीय सलमान अफजाल, उनकी पत्नी मदीहा सलमान, पुत्री युमना और उनकी 74 वर्षीय मां तलत अफजाल की मौत हो गई थी। इस हमले में उनका 9 वर्षीय बेटा भी घायल हो गया था। अदालत में आरोपी वेल्टमैन ने यह स्वीकार किया था कि उसने अपनी पिकअप ट्रक से जानबूझकर इस मुस्लिम परिवार को कुचला था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने यह तर्क दिया था कि आरोपी का इरादा मुस्लिम परिवार की हत्या करने का नहीं, बल्कि उन्हें डराने का था। वकील ने यह भी दावा किया था कि घटना के समय आरोपी नशे में था और वह मानसिक रूप से विचलित था।

ओंटारियो अदालत के न्यायाधीश रेनी पोमेरेंस ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने इस हमले की योजना काफी साल पहले बनाई थी और यह इस्लामोफोबिया का नतीजा है। आरोपी इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की हत्या की जाए। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने पुलिस में यह बयान दिया था कि वह यह संदेश देना चाहता था कि मुसलमानों को कनाडा में सहन न किया जाए और कनाडा के अन्य नागरिकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे मुसलमानों को सामूहिक हत्या का डर दिखाकर उन्हें कनाडा छोड़ने के लिए मजबूर करें। ऐसे व्यक्ति के प्रति नरम रूख अपनाना कनाडा की संस्कृति और सुरक्षा के लिए खतरा होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा एक ऐसा देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं और कनाडाई संविधान में उन्हें समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा था कि किसी भी सिरफिरे को एक विशेष धर्म के खिलाफ जहरीला प्रचार करने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 फरवरी) के अनुसार अदालत ने इस घटना को आतंकवाद की संज्ञा दी है और कहा है कि ऐसे अतिवादी को सख्त सजा देना कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। मुकदमे के दौरान पुलिस अधिकारियों ने अपने बयान में कहा था कि इस मुकदमे की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि आरोपी मुसलमानों और इस्लाम से सख्त नफरत करता था और उसने एक सुनियोजित मंसूबे के तहत इस मुस्लिम परिवार को सामूहिक रूप से मौत के घाट उतारने का फैसला किया था। अदालत के फैसले के बाद सलमान अफजाल की सास ताबिंदा बुखारी ने कहा कि इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि हमारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है और उसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है, मगर ऐसे जुनूनी को अदालत ने जो सजा दी है उसका मैं स्वागत करती हूं।

चेचन्या में कुरान जलाने पर साढ़े तीन साल कैद की सजा

उर्दू टाइम्स (28 फरवरी) के अनुसार चेचन्या की राजधानी ग्रोज्नी की एक अदालत ने एक रूसी नागरिक को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर कुरान को जलाने का आरोप है। 20 वर्षीय निकिता जुरावेल को मई 2023 में कुरान जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस युवक ने एक मस्जिद के बाहर सार्वजनिक रूप से कुरान को जलाया था। गौरतलब है कि रूस के चेचन्या में 75 प्रतिशत से भी अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। रूस समर्थक नेता रमजान कादिरोव जनता के सामने अपने आप को इस्लाम संरक्षक के रूप में पेश करते हैं। उन्होंने रूस की सरकार से अनुरोध किया था कि इस्लाम विरोधी भावना को भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कानून के तहत निकिता जुरावेल के खिलाफ चेचन्या की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया था। गौरतलब है कि रूसी सरकार ने 2013 में इस कानून को बनाया था और पहली बार इस कानून के तहत किसी मुकदमे की सुनवाई हुई है।

मरियम नवाज पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री निर्वाचित

सहाफत (27 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग (नवाज) के नेतृत्व में बने गठबंधन की नेता मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया है। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी महिला ने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला हो। वोटों की गिनती के बाद पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष ने मरियम को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की। 371 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में मरियम नवाज को 220 वोट मिले। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के

चुनाव का बहिष्कार किया। इस कारण मुख्यमंत्री पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार राणा आफताब अहमद खान को एक भी वोट नहीं मिले। मरियम नवाज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार संभाल लिया है।

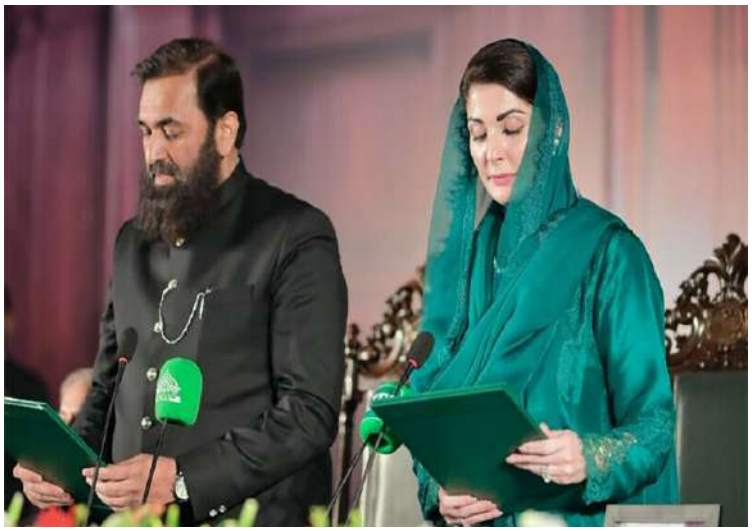

गौरतलब है कि मुस्लिम लीग (नवाज) ने मरियम नवाज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने राणा आफताब अहमद खान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। इससे पहले दो निर्दलीय विधायकों सरदार खिजर हुसैन खान मजारी और ताहिर कैसरानी ने मुस्लिम लीग (नवाज) में शामिल होने की घोषणा करने के बाद अपने पद की शपथ ली। इस पर राणा आफताब ने आपत्ति जताई। उन्होंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। राणा आफताब का कहना था कि आज के विधानसभा का अधिवेशन सिर्फ मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बुलाया गया था और इन दोनों विधायकों के शपथ लेने को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद स्पीकर ने उन्हें पद की शपथ क्यों दिलाई है? इसके बाद सदन में भाषण की अनुमति न मिलने के कारण सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के विधायक सदन से बाहर चले गए। मरियम नवाज ने विपक्ष से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही में भाग लें। उन्होंने विपक्ष के विधायकों को मनाने के लिए मुस्लिम लीग (नवाज) के छह नेताओं को भी भेजा। उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया कि आप विपक्ष को बोलने की अनुमति दें। हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं यह अलग बात है, मगर चुनाव में उनका भाग लेना बहुत जरूरी है।

पंजाब की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा कि मेरे दिल और दफ्तर के दरवाजे विपक्ष के लिए हर समय खुले हुए हैं। अगर विपक्ष के लोग यहां होते और शोर-शराबा करते तो मुझे खुशी होती। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनकी भी मुख्यमंत्री और बेटी हूं। मैं केवल मुस्लिम लीग (नवाज) की मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की मुख्यमंत्री हूं। बता दें कि मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पुत्री हैं। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री ली है। मरियम नवाज के पंजाब के मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रवक्ता ने कहा कि आज पंजाब में एक फर्जी मुख्यमंत्री का निर्वाचन हुआ है। जो लोग चुनाव में धांधली करके जीते हैं, आज वे एक फर्जी मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। इस परिवार ने दशकों तक पंजाब और पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है और उसने अरबों रुपये की संपत्ति विदेशों में भी बनाई है। अब वह एक बार फिर से पंजाब को लूटने के लिए सत्ता में आया है।

संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो

रोजनामा सहारा (22 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने गाजा में युद्धविराम और इजरायली अतिक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव को तीसरी बार वीटो कर दिया है। इसके बाद हर तरफ से अमेरिका की आलोचना की जा रही है। फ्रांसीसी संवाद समिति एएफपी के अनुसार प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अमेरिका ने इस विवाद के समाधान के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव का प्रारूप पेश किया था। इस प्रस्ताव में गाजा में फौरन युद्धविराम का उल्लेख नहीं किया गया था। गाजा में फौरन युद्धविराम लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव पर अल्जीरिया पिछले तीन सप्ताह से काम कर रहा था। इस प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि मानवीय आधार पर गाजा में युद्धविराम की घोषणा की जाए और इसका सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रतिनिधित रियाद मंसूर ने अमेरिका द्वारा वीटो करने की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका की यह हरकत बेहद खतरनाक और गैरजिम्मेवाराना है। इसके उलट संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने अल्जीरिया के इस प्रस्ताव को गैरजिम्मेवाराना करार दिया है। उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए कैदियों का हवाला देते हुए कहा कि हम बातचीत की प्रक्रिया को खतरे में नहीं डालना चाहते। उन्होंने कहा कि हमने अस्थाई युद्धविराम के प्रस्ताव के बदले में बंधक बनाए गए सभी इजरायलियों की रिहाई का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी दो बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को अमेरिका वीटो कर चुका है। युद्धविराम से संबंधित प्रस्ताव को वीटो करने के अमेरिकी फैसले की चीन और रूस के साथ-साथ अमेरिका के सहयोगी देशों फ्रांस, स्लोवेनिया और माल्टा ने भी आलोचना की है। स्लोवेनिया के प्रतिनिधि सैमुअल जबोगर ने कहा है कि हमने इस प्रस्ताव के पक्ष में इसलिए वोट दिया था ताकि गाजा में

नागरिकों का नरसंहार रूक सके। फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा कि गाजा में नरसंहार और वहां के लोगों की कठिनाईयों को देखते हुए यह जरूरी है कि इजरायल की कार्रवाईयों को अनिवार्य रूप से रोका जाए। अल्जीरिया के प्रतिनिधि ने कहा कि हम इस प्रस्ताव द्वारा फिलिस्तीनियों को संदेश देना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक बार फिर से विफल हो गया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पेश किया गया जब गाजा में इजरायली बमबारी में अब तक 29 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पट्टी में स्थित नगर रफा में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। इजरायली बमबारी से भयभीत होकर रफा में 14 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों ने शरण ली है।

फिलिस्तीनी संवाद समिति 'वफा' ने कहा है कि गाजा में युद्धविराम के लिए पेश किए गए प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा तीसरी बार वीटो करने की फिलिस्तीनी प्रशासन ने निंदा की है। उसने कहा है कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी जनता के नरसंहार को रोकने में अमेरिका द्वारा बाधा उत्पन्न करना हैरानी की बात है। अमेरिका ने गाजा में युद्धविराम की घोषणा को जिस तरह से पलीता लगाया है वह इजरायल द्वारा गाजा पट्टी की जनता के खिलाफ आक्रामकता को जारी रखने और रफा पर होने वाले खूनी हमले को हरी झंडी देने के बराबर है। अमेरिका की नीति दुनिया की शांति के लिए खतरा बन गई है। हमास ने कहा है कि इससे साफ है कि अमेरिका खुलेआम इजरायल के आक्रामक इरादों का समर्थन कर रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग के दौरान ब्रिटेन अनुपस्थित रहा। जबकि 13 अन्य देशों ने युद्धविराम के प्रस्ताव के पक्ष में अपने वोट दिए। अमेरिका इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 18 अक्टूबर और 8 दिसंबर को गाजा में युद्धविराम से संबंधित प्रस्ताव पर वीटो कर चुका है।

उर्दू टाइम्स (27 फरवरी) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल को यह निर्देश दिया था कि वह गाजा में अपनी कार्रवाई को रोके, मगर इसके बावजूद उसने गाजा पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। इसके साथ ही उसने मिस्र की दक्षिणी सीमा के पास स्थित नगर रफा में सेना भेजने की धमकी दी है, जहां पर इजरायली बमबारी से भयभीत गाजा के लाखों नागरिकों ने शरण ले रखी है। यूएनआरडब्ल्यूए के प्रवक्ता जोनाथन फाउलर ने अल अरबिया को बताया कि इजरायली प्रदर्शनकारी अशदोद बंदरगाह पर गाजा में जाने वाले राहत ट्रकों को रोक रहे हैं और इस सीमा को दो बार बंद भी किया जा चुका है। इससे गाजा में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पर्यवेक्षकों का यह मानना था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद गाजा पर इजरायल के हमले में कमी आएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायल पर इसका कोई असर नहीं हुआ है और उसके हमलों में तेजी आई है।

अमेरिका पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद करे।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 फरवरी) के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से इजरायल पर यह दबाव डाला गया था कि वह रफा पर हमले की योजना को कार्यान्वित न करे, मगर इजरायल इसके लिए तैयार नहीं है और उसने अपनी युद्ध परिषद में रफा पर हमले की योजना पेश की है। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा है कि रफा में सैन्य कार्रवाई करना जरूरी है। हम वहां पर हमास को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर लगाम लगाने में हमारे राजनयिक सूत्र विफल हो जाते हैं तो हमें वहां पर सैन्य कार्रवाई को तेज करना होगा। मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मिस्र की सीमा पर स्थित रफा नगर में 15 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। वे हताश, भूखे और भयभीत हैं, इसलिए इजरायल को इस क्षेत्र पर हमला करने से परहेज करना चाहिए।

रोजनामा सहारा (23 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब और मिस्र ने रफा पर इजरायल के संभावित हमले पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने विश्व के देशों से अपील की है कि वे इजरायल पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह अपनी आक्रामक कार्रवाई से बाज आए।

तुर्किये ने रद्द की मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता की नागरिकता

इंकलाब (20 फरवरी) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के मिस्र दौरे के बाद इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के प्रति तुर्किये द्वारा अपनाई गई उदार नीति में अचानक परिवर्तन हुआ है। तुर्किये सरकार ने इस्तांबुल में रहने वाले इख्वानुल मुस्लिमीन के नेता महमूद हुसैन की नागरिकता रद्द कर दी है। इसके साथ ही उनके पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया गया है। तुर्किये सरकार ने अपने इस फैसले की जानकारी महमूद हुसैन को दे दी है। हालांकि, तुर्किये सरकार ने अपने इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया है। महमूद हुसैन ने एक वकील के जरिए तुर्किये सरकार से यह जानकारी मांगी है कि उनकी नागरिकता को किस आधार पर रद्द किया गया है? इसके साथ ही उन्होंने तुर्किये से निष्कासित किए जाने पर किसी अन्य देश में शरण लेने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। बताया जाता है कि वे अनेक यूरोपीय देशों के साथ-साथ कई मुस्लिम देशों से भी इस संदर्भ में संपर्क कर रहे हैं। महमूद हुसैन ने इस्तांबुल स्थित अपने फ्लैट को भी बेच दिया है। बताया जाता है कि तुर्किये में रहने वाले इख्वानुल मुस्लिमीन के अन्य नेता भी अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं और वे कई अन्य देशों में राजनीतिक शरण पाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।

गौरतलब है कि मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के अतिवादी इस्लामी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ कटुतापूर्ण संबंध रहे हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग का आंदोलन मिस्र में भी शुरू हुआ था। इस आंदोलन के कारण मिस्र की जनता ने विदेशी इशारे पर मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज कर दिया था। बताया जाता है कि इन प्रदर्शनों के पीछे इख्वानुल मुस्लिमीन का हाथ था। जनाक्रोश को देखते हुए होस्नी मुबारक को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और देश का शासन सेना की सर्वोच्च परिषद ने संभाल लिया। अब्देल फतह अल-सिसी भी इस परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य थे। अल-सिसी एक कट्टरपंथी मुसलमान माने जाते हैं। इसी वजह से इख्वानुल मुस्लिमीन का सहयोग प्राप्त करने के लिए सेना ने अल-सिसी को अपना माध्यम बनाया। इस तरह से सेना देश पर अपने नियंत्रण को मजबूत करना चाहती थी। जून 2012 में इख्वानुल मुस्लिमीन के प्रमुख नेता मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने। मुर्सी ने अल-सिसी को सेना प्रमुख और देश का रक्षामंत्री बना दिया।

बाद में सेना और इख्वानुल मुस्लिमीन के बीच मतभेद उभरने शुरू हुए। सेना के इशारे पर देश में इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया। सेना के दबाव के कारण मुर्सी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और सत्ता की बागडोर सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-सिसी ने संभाल ली। बाद में सेना ने इख्वानुल मुस्लिमीन को प्रतिबंधित कर दिया और उससे संबंधित हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया। इसके खिलाफ देशभर में जोरदार प्रदर्शन हुए, जिन्हें सेना ने सख्ती से कुचल दिया। बताया जाता है कि इन प्रदर्शनों में इख्वानुल मुस्लिमीन के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए और इस संगठन के अनेक नेताओं को मिस्र से भागकर विदेशों में शरण लेनी पड़ी। बाद में सेना ने देश में चुनाव करवाए, जिसमें अल-सिसी को 57 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। अल-सिसी की इतनी बड़ी जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में विपक्षी दलों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अल-सिसी ने देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। हाल ही में मिस्र में जो चुनाव हुए उनमें अल-सिसी को 89 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। बताया जाता है कि अल-सिसी के दबाव पर तुर्किये के राष्ट्रपति ने इख्वानुल मुस्लिमीन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है।

बुर्किना फासो में इस्लामी आतंकियों के हमले में 30 लोगों की मौत

सहाफत (28 फरवरी) के अनुसार अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में इस्लामी आतंकियों ने एक मस्जिद और कैथोलिक चर्च पर हमला किया, जिसमें लगभग 30 लोगों के मारे जाने की सूचना है। समाचारपत्र के अनुसार बुर्किना फासो के पूर्वी क्षेत्र में एक मस्जिद पर हुए हमले में कम-से-कम 14 नमाजी मौके पर मारे गए। जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि रविवार को चार शस्त्र हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खून की होली खेलने के बाद वे घटनास्थल से फरार हो गए। एक अन्य समाचार के अनुसार बुर्किना फासो में उसी दिन एक कैथोलिक चर्च पर भी हमला हुआ। यह हमला उस समय हुआ जब लोग प्रार्थना के लिए चर्च में इकट्ठे हुए थे। इस हमले में 15 लोग मारे गए और 23 घायल हो गए। चर्च से संबंधित एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले के पीछे इस्लामी आतंकी संगठन अल-शबाब का हाथ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में यह आतंकी संगठन कम-से-कम एक दर्जन चर्चों पर हमला करके लगभग 200 ईसाइयों की हत्या कर चुका है।

जानकार सूत्रों के अनुसार मस्जिद में जो नमाजी मारे गए हैं उनका संबंध शिया संप्रदाय से है। इससे पहले भी तीन बार अल-शबाब के आतंकी कम-से-कम चार मस्जिदों को अपना निशाना बना चुके हैं, जिनमें कई दर्जन लोग मारे गए थे। गौरतलब है कि अल-शबाब का संबंध सुन्नी आतंकी संगठन अलकायदा से बताया जाता है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस अफ्रीकी देश में गृहयुद्ध जारी है और अल-शबाब के आतंकी देश के दक्षिणी भाग पर कब्जा किए हुए हैं। वे अब पूर्वी भाग को भी अपना निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ■

फिलिस्तीन में प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र

रोजनामा सहारा (27 फरवरी) के अनुसार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह समेत पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया है। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के अनुसार प्रधानमंत्री ने बताया कि गाजा में दिन-प्रतिदिन इजरायल के हमले बढ़ रहे हैं और वहां के लोग भूख का शिकार हैं। वेस्ट बैंक और यरुशलम में भी इजरायल के बढ़ते हमलों के कारण शतायेह ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सौंप दिया है। अल जजीरा के अनुसार मोहम्मद शतायेह मंत्रिमंडल का यह त्यागपत्र उस समय सामने आया है जब अमेरिका फिलिस्तीन में

नया राजनीतिक ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर दबाव डाल रहा है। सऊदी अरब सहित अनेक अरब देश अमेरिका पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह इजरायल पर दबाव बनाकर इजरायल हमास युद्ध को समाप्त कराने का प्रयास करे और वहां पर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को स्थापित करने में सहयोग दे। अमेरिका इस संदर्भ में इजरायली और फिलिस्तीनियों से बातचीत करके यह प्रयास कर रहा है कि अगर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण होता है तो उसका शासक किसे बनाया जाए। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह के त्यागपत्र के बाद अब राष्ट्रपति महमूद अब्बास को यह फैसला करना होगा कि वे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का त्यागपत्र मंजूर करते हैं या नहीं।

फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियमों के अनुसार राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होता है। वर्तमान राष्ट्रपति महमूद अब्बास 2005 से फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और वहां की संसद उसे स्वीकृति प्रदान करती है। मोहम्मद शतायेह ने गाजा को 'ब्लड वैली' का नाम दिया था। उन्होंने दावा किया था कि सात अक्टुबर से गाजा में शुरू हुए इजरायली हमले के कारण अब तक वहां पर 30 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) को फिलिस्तीनी क्षेत्रों के गवर्निंग बॉडी के तौर पर मान्यता दी जाती है। शासन को चलाने के लिए वहां पर फिलिस्तीनी काउंसिल भी मौजूद है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व भी करती है। फिलिस्तीन में दो बडी राजनीतिक पार्टियां हमास और फतह हैं। हमास 2007 से गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है। वहीं, फतह वेस्ट बैंक और यरुशलम पर शासन कर रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त है। फतह के प्रवक्ता ने अल अरबिया को बताया कि अगर इजरायल की नाकाबंदी जारी रही तो कोई भी पार्टी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगी, इसलिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र का जो भी प्रशासन हो उसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हों। इजरायली नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह सरकार की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

गौरतलब है कि हाल ही में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने चीन का दौरा किया था। इसके बाद से चीन ने इस क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ा दी है। अरब देशों में चीन के वर्चस्व में वृद्धि के लिए यह जरूरी है कि वह फिलिस्तीनी जनता के समर्थन को प्राप्त करने के लिए आजाद फिलिस्तीनी स्टेट का समर्थन करे। अभी तक सऊदी अरब को अमेरिका का सहयोगी माना जाता था, मगर सऊदी अरब के युवराज के चीन दौरे के बाद स्थिति में काफी बदलाव आया है। चीन ने सऊदी अरब में व्यापक रूप से पूंजी निवेश करने की योजना बनाई है। इस बदलते हुए हालात में अमेरिका को भी अपनी मध्य पूर्व नीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पुनर्गठन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का त्यागपत्र इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया जाता है।

सऊदी अरब में आतंकवाद के आरोप में सात लोगों को मौत की सजा

रोजनामा सहारा (28 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अदालत के आदेश पर सात व्यक्तियों का सिर काट दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उन पर आतंकवाद, तोड़-फोड़ करने और देश से गद्दारी करने का आरोप था। जल्लादों ने जिन लोगों के सिर काटे हैं उनके नाम अहमद बिन सऊद बिन सगीर अल-शम्मारी, सईद बिन अली बिन सईद अल-वादेई, अब्दुल अजीज बिन ओबैद बिन अब्दुल्ला अल-शहरानी, अवद बिन मुशबाब बिन सईद अल-अस्मारी, अब्दुल्ला बिन हमद बिन मजौल अल-सईदी, मोहम्मद बिन हद्दाद बिन अहमद बिन मोहम्मद और अब्दुल्ला बिन हाजिस बिन गाजी अल-शम्मारी बताए जाते हैं।

ये सभी सऊदी अरब के नागरिक थे। गुप्तचर एजेंसियों की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे की सुनवाई हुई। मुकदमे में उन पर सऊदी अरब में शांति व्यवस्था और स्थिरता को खतरे में डालने के लिए आतंकी संगठनों से गठजोड़ करने का आरोप लगाया गया था। सरकारी वकील ने इन आरोपों को अदालत में साबित किया था। अदालत ने छह महीने पहले ही इन्हें मौत की सजा सुना दी थी। अब उन्हें रियाद में जल्लादों ने सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया है। सऊदी सरकार ने इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि आने वाले हज सीजन में बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी सऊदी नागरिक या वहां पर रहने वाले व्यक्ति को हज में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति के जो भी व्यक्ति हज करेगा उसे छह महीने की सजा और 50 हजार रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें दस साल के लिए सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस आदेश का प्रसारण सऊदी अरब की मीडिया द्वारा किया जा रहा है। सऊदी सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी पवित्र स्थान पर दाखिल होने वाले व्यक्ति के पास सरकार का अनुमति पत्र होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति पत्र के मक्का और मदीना के पवित्र स्थानों में दाखिल होने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सऊदी कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सऊदी सरकार ने यह फैसला गुप्तचर सूत्रों से प्राप्त सूचना के बाद किया है। गुप्तचर सूत्रों ने यह संदेह व्यक्त किया है कि विदेशी शक्तियां सऊदी अरब सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को भड़काने का प्रयास कर रही हैं और विदेशी एजेंट हज या उससे पहले देश में आतंकी हिंसा की ज्वाला भड़का सकते हैं। इस संदर्भ में सऊदी सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क भी कर दिया है कि वे संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगरानी रखें।

RNI No. DELHIN/2017/72722

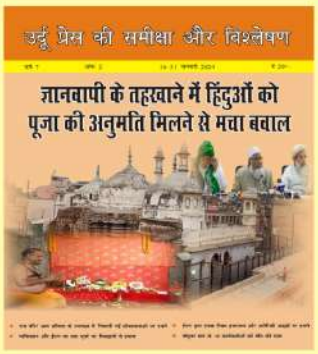

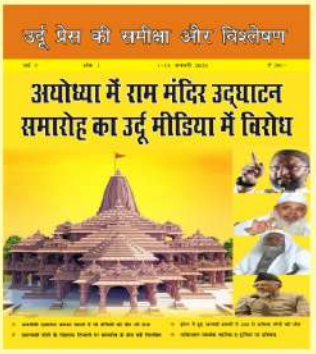

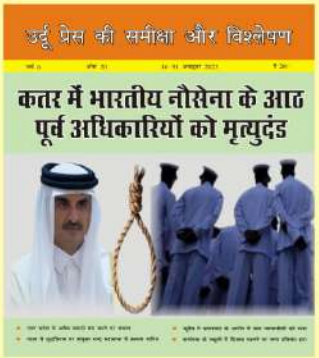

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in